न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 26/**25** **(वाद)**

GCMS No. : 2025/54

1. श्रीमती केशी पत्नी बाबुलाल डांगी, निवासी पलानाखुर्द तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)

............वादी

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, घासा जिला उदयपुर (राज०)
2. श्री सुखलाल पिता कुका डांगी निवासी पलानाखुर्द तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
3. श्रीमती लीला पुत्री कुका डांगी निवासी रेड बांसलिया हाल पलानाखुर्द तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री विष्णुकुमार मण्डोवरा, अधिवक्ता वादी।

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व 151 दीवानी प्रक्रिया संहिता

निर्णय

दिनांक : 20.05.2025

1. वादिया द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व 151 दीवानी प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादिया ने दिनांक 24.06.2016 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से कृषि भूमि क्रय की थी, उक्त कृषि भूमि मौजा पलानाखुर्द पटवार हल्का पलानाखुर्द तहसील घासा में स्थित है जिसके आराजी नम्बर 3099 रकबा 0.1133 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 3100 रकबा 0.0890 हैक्टेयर व आराजी नम्बर 3145 रकबा 0.6313 हैक्टेयर है एवं पंजीयन के बाद नामान्तरण हेतु पंजीकृत दस्तावेज पटवारी, पटवार हल्का पलानाखुर्द पर दिये थे। लेकिन पटवारी पलानाखुर्द द्वारा आराजी नम्बर 3099, रकबा 0.1133 हैक्टेयर व आराजी नम्बर 3100 रकबा 0.0890 हैक्टेयर कृषि भूमि का नामान्तरण विक्रेता प्रथम पक्षकार सुखलाल को 4/15 वां हिस्सा व विक्रेता

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Siryi Punadia
Date: 2025.07.14 11:41:13 IST
Reason: SelfAttested

प्रथम पक्षकार संख्या– 2 व 3 का 2/15 वां हिस्सा का नामान्तरण खोल दिया व आराजी नम्बर 3145 रकबा 0.6313 हैक्टेयर में विक्रेता प्रथम पक्षकार संख्या–1 का 13/225 वां हिस्से का नामान्तरण खोल दिया, लेकिन विक्रेता प्रथम पक्षकार संख्या– 2 व 3 का संयुक्त 2/15 वां हिस्से का नामान्तरण नहीं खोला गया एवं पटवारी की लापरवाही होने से आराजी नम्बर 3145 रकबा 0.6313 हैक्टेयर विक्रेता प्रथम पक्षकार संख्या– 2 व 3 के 2/15 वें हिस्से की नामान्तरण की कार्यवाही नहीं हो सकी एवं मुझ वादिया को बाद में पता चला तो मुझ वादिया ने पुनः पटवार हल्का से यह दस्तावेज प्राप्त किये।

2. अंत में निवेदन किया कि वादीया का वाद स्वीकार फरमाया जाकर पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर वादिया की क्रय शुदा आराजी नम्बर 3145 रकबा 0.6313 हैक्टेयर भूमि में प्रथम पक्षकार संख्या 2 व 3 का संयुक्त 2/15 वां हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रेकार्ड में वादिया के नाम पर अंकित कराये जाने का आदेश फरमाया जावे।

3. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 2 से 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। प्रतिवादी संख्या 1 आवश्यक औपचारिक पक्षकार होने से जवाब पेश नही करना चाहा। प्रकरण में तनकीयात कायम की आवश्यकता नही रहने से साक्ष्यवादी प्रारम्भ की गई। वाद के समर्थन में साक्ष्य वादी गवाह पीडब्ल्यू 1 वादिया स्वयं केशीबाई पत्नी बाबुलाल डांगी द्वारा उपस्थित होकर बयान क्रमबंध करवाए कि मैने दिनांक 16.04.2025 अपनी मुख्य परीक्षा का शपथ पत्र पेश किया जिसको मैंने पढ सुन समझ कर उस पर प्रत्येक पृष्ठ पर अंगुष्ठ निशानी की, जो सही व सत्य हैं। मुख्य परीक्षा के शपथपत्र में वादिया ने अंकित किया कि मुझ शपथग्रहिता ने दिनांक 24.06.16 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से कृषि भूमि क्रय की थी, उक्त कृषि भूमि मौजा पलानाखुर्द पटवार हल्का पलानाखुर्द तहसील घासा में स्थित है जिसके आराजी नम्बर 3099 रकबा 0.1133 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 3100 रकबा 0.0890 हैक्टेयर व आराजी नम्बर 3145 रकबा 0.6313 हैक्टेयर है एवं पंजीयन के बाद नामान्तरण हेतु पंजीकृत दस्तावेज पटवारी, पटवार हल्का पलानाखुर्द पर दिये थे। लेकिन पटवारी पलानाखुर्द द्वारा आराजी नम्बर 3099, रकबा 0.1133 हैक्टेयर व आराजी नम्बर 3100 रकबा 0.0890 हैक्टेयर कृषि भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Duty Officer
Date: 2025.07.14 11:41:13 IST
Reason: SelfAttested

का नामान्तरण विक्रेता प्रथम पक्षकार संख्या–1 का 4/15 वां हिस्सा व विक्रेता प्रथम पक्षकार संख्या– 2 व 3 का 2/15 वां हिस्सा का नामान्तरण खोल दिया व आराजी नम्बर 3145 रकबा 0.6313 हैक्टेयर में विक्रेता प्रथम पक्षकार संख्या–1 का 13/225 वां हिस्से का नामान्तरण खोल दिया, लेकिन विक्रेता प्रथम पक्षकार संख्या– 2 व 3 का संयुक्त 2/15 वां हिस्से का नामान्तरण नहीं खोला गया एवं पटवारी की लापरवाही होने से आराजी नम्बर 3145 रकबा 0.6313 हैक्टेयर विक्रेता प्रथम पक्षकार संख्या– 2 व 3 के 2/15 वें हिस्से की नामान्तरण की कार्यवाही नहीं हो सकी। अतः पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर वादिया की क्रय शुदा आराजी नम्बर 3145 रकबा 0.6313 हैक्टेयर भूमि में प्रथम पक्षकार संख्या 2 व 3 का संयुक्त 2/15 वां हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रेकार्ड में वादिया के नाम पर अंकित कराये जाने का आदेश फरमाया जावे। साथ ही दस्तावेज मौजा पलानाखुर्द की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 की खाता संख्या 165 प्रदर्श 1, जमाबंदी संवत 2071–74 प्रदर्श2, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 24.06.2016 असल प्रदर्श 3 एवं छायाप्रति पत्रावली पर प्रदर्श 3ए पेश किये।

4. अधिवक्ता वादिया की एकतरफा दावा बहस सुनी। हमने अधिवक्ता वादिया की बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे की प्रदर्श 1 ग्राम पलानाखुर्द पटवार हल्का पलानाखुर्द तहसील घासा की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 165 पर दर्ज आराजी नम्बर 3145 किता 1 कुल क्षेत्रफल 0.6313 हैक्टेयर भूमि वादिया, प्रतिवादी संख्या 2 व 3 एवं अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार दर्ज है। प्रदर्श 2 ग्राम पलानाखुर्द पटवार हल्का पलानाखुर्द तहसील घासा की नकल जमाबंदी संवत 2071–74 के खाता संख्या 28 पर दर्ज आराजी नम्बर 2962, 3015, 3058, 3060, 3099, 3100, 3112, 3145 किता 8 कुल रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 2, 3 एवं इनकी माता मोवनीबाई पत्नी कुका तथा अन्य सह खातेदार के नाम हिस्सेनुसार दर्ज रिकार्ड है। प्रदर्श–3ए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 24.06.2016 अनुसार उक्त वादग्रस्त भूमि में से आराजी नम्बर 3099 रकबा 14 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 3100 रकबा 11 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 1 बीघा [illegible] भूमि में खातेदार सुखलाल पिता कुका डांगी द्वारा 4/15 हिस्सा एवं खातेदार लीला पिता कुका तथा मोवनीबाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Pu[illegible]
Date: 2025.07.14 11:41:13 IST
Reason: SelfAttested

पत्नी कुका डांगी द्वारा अपने नाम संयुक्त 2/15 हिस्से को वादी को विक्रय कर दिया गया। साथ ही आराजी नम्बर 3145 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा भूमि में से खातेदार सुखलाल पिता कुका डांगी द्वारा 13/225 वां हिस्सा एवं खातेदार लीला पिता कुका तथा मोवनीबाई पत्नी कुका डांगी द्वारा अपने नाम संयुक्त 2/15 हिस्से को वादिया को विक्रय कर दिया गया। प्रदर्श – 2 ग्राम पलाना खुर्द की नकल जमाबंदी संवत 2071–74 पर अंकित नोट अनुसार राजस्व कर्मचारियों द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1670 दिनांक 8.07.2016 पारित किया गया। उक्त नामान्तरकरण द्वारा राजस्व कर्मचारियों द्वारा आराजी नम्बर 3099 रकबा 14 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 3100 रकबा 11 बिस्वा में से क्रय किये गये हिस्से को दर्ज कर दिया गया। परन्तु आराजी नम्बर 3145 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा भूमि से वादीया द्वारा कुल 43/225 हिस्सा क्रय किया गया था जिसकी बजाय केवल मात्र सुखलाल के नाम दर्ज हिस्से से 13/225 हिस्सा ही वादीया के नाम दर्ज किया गया। विक्रेता लीला एवं मोवनीबाई द्वारा विक्रित हिस्सा 2/15 वादिया के नाम दर्ज नहीं किया गया। प्रदर्श–1 ग्राम पलानाखुर्द की जमाबंदी संवत 2077–80 की खाता संख्या 165 में वादग्रस्त आराजी नम्बर 3145 रकबा 0.6313 हैक्टेयर भूमि में विक्रेता लीला पिता कुका का 1/10 हिस्सा एवं विक्रेता सुखलाल का 109/450 हिस्सा दर्ज है। क्योंकि विक्रेता मोवनीबाई का देहावसान हो जाने से उसके 1/15 हिस्सा विरासत से लीला एवं सुखलाल प्रत्येक के 1/30–1/30 हिस्सा दर्ज हो गया। इससे स्पष्ट हैं कि आराजी नम्बर 3145 में वादिया द्वारा विक्रेता लीला बाई एवं मोवनीबाई से क्रय किया गया 2/15 हिस्सा वादिया के नाम दर्ज नहीं किया गया। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादीया रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर वादग्रस्त आराजीयात 3145 रकबा 0.6313 हैक्टेयर भूमि की 43/225 हिस्से की खातेदार रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक से ही हो चुकी थी। केवल मात्र राजस्व कर्मचारियो की लापरवाही के कारण 2/15 हिस्सा वादीया के नाम दर्ज नही हो सका। ऐसे में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में 2/15 हिस्सा वादिया के नाम अंकित करना न्यायोचित पाया जाता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वाद वादिया स्वीकार योग्य पाया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:41:13 IST
Reason: SelfAttested

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादिया का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व 151 दीवानी प्रक्रिया संहिता का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि ग्राम पलानाखुर्द पटवार हल्का पलानाखुर्द तहसील घासा की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 165 पर दर्ज आराजी नम्बर 3145 किता 1 कुल क्षेत्रफल 0.6313 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 सुखलाल पिता कुका, प्रतिवादी संख्या 3 लीला पिता कुका डांगी एवं वादीया केशी पत्नी बाबूलाल डांगी के नाम संयुक्त रूप से 2/5 हिस्से से दर्ज है, के बजाय वादिया केशी पत्नी बाबूलाल डांगी को 43/225 हिस्से एवं प्रतिवादी संख्या 2 सुखलाल पिता कुका डांगी को 47/225 हिस्से से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता यथावत रहेगा।

डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 20.05.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:41:13 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्रीमती केशी पत्नी बाबुलाल डांगी, निवासी पलानाखुर्द तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)

.....वादी

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, घासा जिला उदयपुर (राज०)
2. श्री सुखलाल पिता कुका डांगी निवासी पलानाखुर्द तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
3. श्रीमती लीला पुत्री कुका डांगी निवासी रेड बांसलिया हाल पलानाखुर्द तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०) .....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा न0 : 26/25 (वाद) GCMS No. – 2025/54

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

वादिया का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व 151 दीवानी प्रक्रिया संहिता का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि ग्राम पलानाखुर्द पटवार हल्का पलानाखुर्द तहसील घासा की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 165 पर दर्ज आराजी नम्बर 3145 किता 1 कुल क्षेत्रफल 0.6313 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 सुखलाल पिता कुका, प्रतिवादी संख्या 3 लीला पिता कुका डांगी एवं वादीया केशी पत्नी बाबूलाल डांगी के नाम संयुक्त रूप से 2/5 हिस्से से दर्ज है, के बजाय वादिया केशी पत्नी बाबूलाल डांगी को 43/225 हिस्से एवं प्रतिवादी संख्या 2 सुखलाल पिता कुका डांगी को 47/225 हिस्से से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता यथावत रहेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 20.05.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:41:13 IST
Reason: SelfAttested